

आदेश - पत्रक

अनुसूची 14-फारम नं० 562

(देश अभिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक से 435 / 13-14
 जिला दा० खा० वा० सं०

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पराधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित															
1	2	3															
	<p>श्री <u>खिन्दू प्रसाद</u></p> <p>पत्न्य <u>श्री. रमेश देवी</u> <u>प्रसाद</u> <u>श्री. खिन्दू जैल</u></p> <p>धाना <u>मालपटवली</u> जिला <u>प० २२१</u></p> <p>पं० घाला नं० <u>8018</u> दिनांक <u>6/8/11</u></p> <p>जो आधार पर निम्नलिखित न्याय पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>जिला का नाम</td> <td>सैजी नं०</td> <td>खाता नं०</td> <td>छासरा</td> <td>एराजी</td> </tr> <tr> <td><u>खीपुर</u></td> <td><u>—</u></td> <td><u>1045</u></td> <td><u>2887 17</u></td> <td><u>खी</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>19</u></td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हेतु कागिरी को अंचल निरीक्षक को माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महल पर सूचना जारी कर आपत्ति को मांग कर। अभिलेख दिनांक <u>10/5/13</u> को उपस्थित करें।</p> <p><u>MS</u> <u>MS</u></p> <p>जिला अधिकारी अंचल अधिकारी</p> <p>महल पर मामला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक को माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन को नाम सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति किये हैं। फलतः उनके अनुमति में आपत्ति पर दाखिल नहीं किया जाता है शरीर पत्र दिनांक <u>10/5/13</u></p> <p>निवेदन एवं मुद्रा सिमा <u>MS</u></p> <p style="text-align: right;"> <u>MS</u> <u>MS</u> अंचल अधिकारी </p>	जिला का नाम	सैजी नं०	खाता नं०	छासरा	एराजी	<u>खीपुर</u>	<u>—</u>	<u>1045</u>	<u>2887 17</u>	<u>खी</u>					<u>19</u>	
जिला का नाम	सैजी नं०	खाता नं०	छासरा	एराजी													
<u>खीपुर</u>	<u>—</u>	<u>1045</u>	<u>2887 17</u>	<u>खी</u>													
				<u>19</u>													

8/10/13
 10/5/13
 अंचल अधिकारी